संख्या- 300/2015-4318(3) /नौ-5-15-18बजट/2013

प्रेषक,

रंग बहादुर सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तर प्रदेश जल निगम,
लखनऊ ।

नगर विकास अनुभाग- 5 लखनऊ दिनांक 08 सितम्बर, 2015

विषय: वित्तीय वर्ष 2015-2016 में राज्य सेक्टर के अन्तर्गत जनपद फैजाबाद की अयोध्या नगर सीवरेज परियोजना हेतु चतुर्थ किश्त की धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (नागर), उ0प्र0 जल निगम लखनऊ के पत्र संख्या-195/नागर-2/033-410/15 दिनांक 09.07.2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सेक्टर के अन्तर्गत के जनपद फैजाबाद की अयोध्या नगर सीवरेज योजना वित्त व्यय समिति द्वारा अनुमोदित लागत रू0 6256.55 लाख की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति तथा उक्त के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में शासनादेश संख्या-7677/नो-5-2013-18बजट/2013, दिनांक 20.02.2014 द्वारा अवमुक्त धनराशि रू0 500.00 लाख तथा द्वितीय किश्त के रूप में शासनादेश संख्या-91/2015-1907/नो-5-2015-18बजट/2013, दिनांक 23.03.2015 द्वारा अवमुक्त धनराशि रू0 1000.00 लाख का उपभोग होने के दृष्टिगत तृतीय किश्त के रूप में शासनादेश संख्या- 298/2015-4318/नो-5-2015-18बजट/2013, दिनांक 08.09.2015 द्वारा अवमुक्त धनराशि रू0 800.00 लाख के अतिरिक्त राज्य सेक्टर कार्यक्रम में सीवरेज योजना के अन्तर्गत संचालित परियोजनाओं के मद में शासनादेश संख्या-2474/नौ-5-2013-83बजट/2014 दिनांक 31.03.2014 द्वारा उ0प्र0 जल निगम के पी0एल0ए0 में जमा धनराशि रू0 3905.99 लाख में से रू0 1500.00 लाख की धनराशि चतुर्थ किश्त के रूप में अवमुक्त किये जाने पर श्री राज्यपाल एतदद्वारा निम्नलिखित शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) संदर्भित शासनादेश दिनांक 20.02.2014 एवं दिनांक 23.03.2015 द्वारा निर्धारित शर्तो एवं प्रतिबंधों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये ।

(2) स्वीकृत धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम लखनऊ के पी0एल0ए0 से आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/पीएलए /डिपोजिट खाते में नही रखी जायेगी।

(3) स्वीकृत धनराशि का व्यवर्तन किसी भी दशा मे नही किया जायेगा।

(4) कार्य पूर्ण होने पर कार्य के सम्परीक्षित लेखे शासन को अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा ।

(5) प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि का आहरण कोषागार से सुसंगत नियामों/प्रविधानों के अनुसार किया जायेगा।

(6) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत प्रावधानों/समय-समय पर निर्गत शासनदेशो के अनुरूप किया जायेगा।

(7) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा मे उसी कार्य/मद में किया जाय। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जाय।

(8) कार्यो की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, इसकी पुष्टि कर ली जाय।

(9) निष्प्रयोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चित किया जाय।

--------2

go finance mangal font

2- वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन विभागों/उपक्रमों में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/ लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो सुनिश्चित करेगे। यदि निर्धारित शर्तो का किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रण इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित नगर विकास विभाग तथा वित्त विभाग को दे दी जाय।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-ई-8-2439/दस-2015, दिनांक 08 सितम्बर, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है ।

भवदीय

(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव।

संख्या-300/2015-4318(4) /नौ-5-15-18बजट/2013

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशर:-

1- महालेखाकार, (वर्क्स लेखा अनुभाग), उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- जिलाधिकारी, लखनऊ/फैजाबाद।
3- कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ।
4- निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
5- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।
6- सम्बन्धित वरिष्ठ लेखाधिकारी/मुख्य सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो।
7- मुख्य अभियंता (फैजा0क्षे0), उ0प्र0 जल निगम, फैजाबाद ।
8- अक्ष्यक्ष / अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, अयोध्या जनपद फैजाबाद ।
9- वित्त (ई-8) अनुभाग/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 एवं नियोजन अनुभाग- 3/4
10- परियोजना निदेशक, नगर कार्य इकाई, उ0प्र0 जल निगम, फैजाबाद।
10- सुपर यूजर, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
11- गार्ड फाइल/ कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव।